पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) से (iii) तक के लिए देखिए संख्या एल. टी-730/90]

III. (क) 1980-81 के वर्ष के लिए बिहार स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल. टी. 754/90]

IV. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, चंडीगढ़ का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए लिए देखिए संख्या एल ०टी० 753/90]

V. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) उपरोक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०- 755/90]

I. Report and Accounts (1988-89); of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi and related papers.

H. Fertilizer (Control) (Second Amendment) Order, 1990.

श्री नितीश कुमार : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

I (i) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I और II) ।

(ii) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे ।

(iii) ऊपर (i) और (ii) से उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई । (i) से (iii) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी०-731/90]

II. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 271 (अ), दिनांक 29 मार्च, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-729/90]

Report and Accounts (1988-89) of the National Institute of Urban Affairs. New Delhi and related papers.

THE 'MINISTER' OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI \ MURASOLI

MARAN): Madam, I lay on the Table 3 copy each (in English and Hindi) of the following papers: —

(i) Annual Report and Accounts . of the National. Institute of Urban Affairs, New Delhi for the year 1988-89, together with Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Institute.

[Placed in Library. *Se*$_e$ No. LT-835/90 fo r(i) and (ii).]

I. Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food).

THE MINISTER OF STATE IN' THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PU-JAN PATEL): Madam on behalf of Shri Nathu Ram Mirdha, I lay on the Table: —

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964: — ',

(i) Notification No. 50 dated the 1st March, 1990, publishing the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Amendment Regulation, 1990.

(ii) Notification No. 51 dated the 1st March, 1990, publishing the Food Corporation of India (Staff) (101st amendment) Regulations, 1990. [Placed in Library. *See* on LT-611/90 for (i): and (ii)]

II.. A; copy (in English and Hindi) of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) Notification G. S. R. No. 435(E) dated the 5th April, 1990, publishing the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1990; under sub-section (3) of Section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962 [Placed in library. *See* No. LT-682/90.]

I. Report and Accounts (1988-89) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack and related papers.

III. Report and Accounts (1988-89) of the Institute for the Physically Handicapped, New Delhi and related papers.

IV. Report and Accounts (1988 89) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad and related papers.

V. Report and Accounts (|1988-89) of the Ali Yarar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay and related papers.

VI. Apprenticeship (Amendment); Rules, 1989.

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

I. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(क) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय दृष्टिवाधितार्थ संस्थान देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए संख्य एल० टी० 647/90]